मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 06 और 07)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर।

मुकदमा नम्बर 89/2016

उनवान

वादी :–

भैरूसिह पुत्र श्री कानाराम जाति जाट निवासी ग्राम श्री कृष्णनगर तहसील बापिणी जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. आदूसिह पुत्र श्री रामसिह फौत के कायम मुकाम
   1/1 टीपू कवंर पत्नी श्री आदूसिह
2. दलेसिह पुत्र श्री रामसिह
3. सायर कंवर पत्नी श्री भवरसिह सभी जाति राजपूत
4. पोकरराम पुत्र श्री खेमाराम जाति मेघवाल निवासी गाम फतेह नगर ईसरू तहसील बापिणी जिला जोधपुर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी ।

वाद बाबत धारा 53 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से दिनेश मदेरणा प्रतिवादीगण अनुपस्थित इस वाद में दिनॉक 11.02. 2017 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ :–

वादी के वादपत्र में अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम फतेहनगर ईसरू के खसरा सख्या 234 रकबा 73 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सख्या 01 से 04 की सयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन प्रस्ताव की पुश्त पर सलग्न नजरी नक्शा में वर्णित अनुसार वादी की खातेदारी की राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अनुसार 400/1460 वॉ हिस्सा जिसका प्रभावित रकबा 20 बीघा भूमि का राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस में विभाजन किया जावे व प्रतिवादीगण सख्या 01 से 04 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि सयुक्त रखी जाती है ।

उपरोक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव के साथ सलग्न नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस में विभाजन किया जावे तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। विभाजन प्रस्ताव के साथ सलग्न नजरी नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग होगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी हो।

खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे।

यह अन्तिम डिक्री आज तारीख 15/5/19.....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:39:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

रतनलाल रेगर
सहायक कलेक्टर, एवं
उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वादपत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शो के लिए स्टाम्प रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल	\	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	\
जोड		जोड	

रतनलाल रेगर
सहायक कलेक्टर, एवं
उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:39:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner